

**न्यायालय उप जिलाधिकारी हरैया बस्ती ।**

बाद संख्या: 117/15  
 80 बाद संख्या: T 20151714012606

अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विन्यास अधिनियम द्वारा  
 ग्राम पायकपुर तथा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील  
 हरैया जिला बस्ती।

आर० बी० ए० महाविद्यालय पायकपुर  
 डिगलपुर बस्ती द्वारा श्रीमती इशिकाता सिंह।

बनाम - सरकार

**विषय**

बादिनी श्रीमती इशिकाता सिंह पत्नी सतुज सिंह निवासी ग्राम अरवापुर पोस्ट पिपरा गौतम तहसील व जिला बस्ती प्रबंधक आर० बी० ए० महाविद्यालय, पायकपुर, डिगलपुर, बस्ती द्वारा अपनी भूमिधारी आराजी गाटा संख्या 223/0.045, 228क/0.416, 228ड/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228घ/0.0120, 219/0.090 व गाटा संख्या 211/0.891 में से 0.025 हे० विषय ग्राम पायकपुर को अक्षुब्ध प्रयोजन की भूमि घोषित किये जाने हेतु जमींदारी विन्यास अधिनियम की धारा 143 में तहत प्राथमिक चरण प्रस्तुत किया गया है जिसने उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि पर आर० बी० ए० महाविद्यालय पायकपुर, डिगलपुर, बस्ती का, मध्य व प्रांजल बना है। उक्त भूमि को राज्य अधिलेखों में अक्षुब्ध प्रयोजन हेतु भूमि अंकित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाय। बादी संख्या के प्रबंधक के प्राथमिक चरण पर तहसील से आख्या प्राप्त किया गया।

बादी संख्या के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में संलग्न मध्य तहसीलदार की आख्या दिनांक 23.01.2015 जो तहसीलदार हरैया द्वारा दिनांक 23.01.2015 को संस्तुति सहित अक्षुब्ध घोषित किये जाने हेतु अस्तित्व कर प्रेषित किया गया है न उल्लेख किया गया है कि ग्राम पायकपुर तथा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती की खतोनी वर्ष 1418-1423 फसली के खाता संख्या 116 के गाटा संख्या 223/0.0450, 228क/0.416, 228ड/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228घ/0.0120, 219/0.090 हे० पर आर०बी०एस० महाविद्यालय का नाम तथा खाता संख्या 123 के गाटा संख्या 211/0.891 हे० पर आर०बी०एस० महाविद्यालय का नाम अन्य सहायातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। तहसील की आख्यानुसार उक्त गाटा संख्या गाटा संख्या 223/0.0450, 228क/0.416, 228ड/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228घ/0.0120, 219/0.090 हे० एवं गाटा संख्या 211/0.891 हे० भूमि पर आर० बी० ए० महाविद्यालय का मध्य व प्रांजल स्थित है। विवादित भूमि का कृषि से इतर अक्षुब्ध प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त भूमि को राज्य अधिलेखों में अक्षुब्ध प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाय।

बादी के विद्वान अधिवक्ता को तर्कों को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपरोक्त तहसील की आख्या एवं अन्य अधिलेखों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न ग्राम पायकपुर तथा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती की खतोनी वर्ष 1418-1423 फसली के खाता संख्या 116 के गाटा संख्या 223/0.0450, 228क/0.416, 228ड/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228घ/0.0120, 219/0.090 हे० पर तथा खाता संख्या 123/0.891 हे० पर आर०बी०एस० महाविद्यालय का नाम अन्य सहायातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। पत्रावली में जमींदारी विन्यास अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था नियमबली में निर्धारित प्रारूप पर आख्या एवं मजरी मशहा संलग्न है। तहसील की आख्यानुसार विवादित भूमि गाटा संख्या 223/0.0450, 228क/0.416, 228ड/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228घ/0.0120, 219/0.090 हे० एवं गाटा संख्या 211/0.891 हे० पर आर०बी०एस० महाविद्यालय, पायकपुर डिगलपुर, बस्ती का मध्य व प्रांजल स्थित है। भूमि का कृषि से इतर अक्षुब्ध प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है तो वर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार भूमि को राज्य अधिलेखों में अक्षुब्ध प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**आदेश**

अतः ग्राम पायकपुर तथा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती की खतोनी सन् 1418-1423 फसली के गाटा संख्या 223/0.0450, 228क/0.416, 228ड/0.129, 221/0.267, 222/0.032, 228घ/0.0120, 219/0.090 हे० एवं खाता संख्या 123 के गाटा संख्या 211/0.891 हे० भूमि को अक्षुब्ध प्रयोजन हेतु घोषित करते हुए लगान रूपया 59.03 भू राजस्व से मुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 137 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में आदेश की प्रस्तावित प्रति उप निबंधक हरैया को प्रेषित किया जाय। तदनुसार परबाला अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली पंक्ति दफतर किया जाय।  
 दिनांक : 7 मई, 2015

बा. सं. 223-6-19  
 दिवार करी 228-6-19  
 बादी होने 211-6-19  
 बरनबस

उप जिलाधिकारी  
 हरैया-बस्ती।  
 उतीक्षिप-द्वारा  
 सुलनाकरा-सी

20-6-19  
 बरनबस, विपरीत

अधिकारी  
 तहसील